भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4279 का उत्तर

लोको पायलटों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षण

4279. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलगाड़ियों की अधिकतम गति का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या रेलगाड़ियों की औसत गति वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों की औसत गति का ब्यौरा क्या है;
(ग) उच्च गति वाली रेलगाड़ियों का परिचालन करने वाले लोको पायलटों के लिए पीएमई (आवधिक चिकित्सा जांच) के मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा इस श्रेणी के अंतर्गत कितनी रेलगाड़ियां आती हैं तथा रेलगाड़ियों के नाम और संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पीएमई प्राप्त करने वाले हाई स्पीड ट्रेनों के लोको पायलटों की संख्या तथा अंतराल का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या केवल पीएमई प्राप्त करने वाले पायलटों को ही उच्च गति से रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी जाती है और वह भी केवल तभी जब कोई विचलन पाया जाता है और क्या कार्रवाई की जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख) गाड़ी सेवाओं की गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे मार्गवर्ती खंडों की अधिकतम अनुमेय गति एवं ढलान, चल स्टॉक/इंजन की गति क्षमता, पथ की उपलब्धता, अनुरक्षण कोरिडोर ब्लॉक, स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंध, सिगनल प्रणाली, ठहरावों की संख्या आदि। तदनुसार, मार्गवर्ती खंड की अधिकतम अनुमेय गति के अनुसार गाड़ी सेवाओं की चार्टिंग की जाती है ताकि उपलब्ध संसाधनों की इष्टतम उपयोगिता सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) से (ङ) लोको पायलटों की आयु के आधार पर आवधिक चिकित्सा जांच निर्धारित आवधिकता पर की जाती है। लोको पायलटों की निरंतर फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों में परिभाषित नीति के अनुसार आवधिक चिकित्सा जांच की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है ताकि वे सुरक्षित ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। लोको पायलटों की आवधिक चिकित्सा जांच के लिए स्थापित दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

- नियुक्ति की तिथि से लेकर 45 वर्ष की आयु तक प्रत्येक चार वर्ष की अवधि के अंत में उनकी पुनः चिकित्सकीय जांच करनी होती है।
- इसके बाद, 55 वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष में पुनः जांच, तथा 55 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति तक प्रतिवर्ष पुनः जांच करना अनिवार्य है।
- यदि किसी लोको पायलट की 45 वर्ष की आयु से पहले दो वर्षों के भीतर आवधिक चिकित्सा जांच हुई है, तो अगली जाँच अंतिम जाँच की तारीख से दो वर्ष बाद निर्धारित की जाती है।
- दूसरी ओर, यदि कर्मचारी की जाँच 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने से दो वर्ष पहले की गई हो, तो उसकी अगली जाँच 45 वर्ष की आयु होने पर की जाएगी, और उसके बाद 55 वर्ष की आयु तक दो वर्ष के अंतराल में जाँच होगी, और उसके पश्चात से वार्षिक रूप से जांच की जाएगी।

*****